

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

-:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::-

क्रमांक 28/एक-11-1/85

दमोह, दिनांक 12 अप्रैल 2024

कार्य विभाजन आदेश क्रं. 27/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 10.04.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

01. कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 04 के खंड क्रं. 2 में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस दमोह को विलोपित कर सरल क्रं. 05 के खंड क्रं. 2 में अंतःस्थापित किया जाता है।

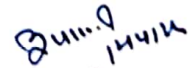
02. कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 04 के खंड क्रं. 4 के बिंदु क्रं. 3 को विलोपित कर सरल क्रं. 5 के खंड क्रं. 4 के नवीन सरल क्रं. 3. एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण एवं समस्त प्रकार के आवेदन पत्र। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रं. ए/2852/(एनडीपीएस)/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत विशेष प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अंतःस्थापित किया जाता है।

03. कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 04 के खंड क्रं. 4 के बिंदु क्रं. 4 को विलोपित कर सरल क्रं. 7 के खंड क्रं. 4 के नवीन सरल क्रं. 5 पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रं. ए/2854/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर (हटा का विद्युत क्षेत्र) सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र, तहसील तेंदूखेड़ा एवं पथरिया क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत समस्त विशेष दांडिक प्रकरण और उनसे संबंधित समस्त प्रकार के परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अंतःस्थापित किया जाता है।

04. कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 14 के खंड क्रं. 4 के सरल क्रं. 4 को विलोपित किया जाता है।

05. कार्य विभाजन आदेश के नोट क्रं. 5 में द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश दमोह को विलोपित कर उनके स्थान पर सप्तम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अंतः स्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(अजय प्रकाश मिश्र)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

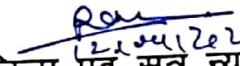
दमोह म.प्र.

पृ.क.-५६९/एक-११-१/८५

दमोह दिनांक 12/4/24

आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. कार्यालय कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, दमोह/समस्त न्यायालय/समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/आसंजित लिपिक/अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया, जिला दमोह, /कुटुम्ब न्यायालय दमोह/प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/ लेखापाल/कार्यालय लिपिक/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय दमोह, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म0प्र0)